भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2168

(10 माच, 2016 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमजीएसवाई का स्थिति

2168. डॉ॰ वीरेन्द्र कुमारः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने का कृपा करगे किः

(क) क्या पयावरणीय और वन स्वीकृति के अभाव म प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतगत कुछ प्रस्ताव लंबित ह;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कारण क्या ह;

(ग) क्या आपके मंत्रालय ने इस मुद्दे को पयावरण, वन और जलवायु परिवतन मंत्रालय के साथ उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त प्रस्तावां का शीघ्र स्वीकृति हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे ह?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय म राज्य मंत्री

(श्री सुदशन भगत)

(क और ख): ग्रामीण सड़क राज्य का विषय है और राज्य सरकार पीएमजीएसवाई का कायान्वयन कर रहा ह। पयावरण एवं वन संबंधी स्वीकृति के कारण लंबित पड़े कार्यां का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-। म दिया गया है।

(ग) से (ङ): कायक्रम दिशा-निदशां के अनुसार, पीएमजीएसवाई म भूमि अधिग्रहण के लिए निधियां नहीं दी जाती ह। यह प्रमाणित एवं सुनिश्चित करना राज्य सरकारां का जिम्मेदारी है कि सभी भार-ग्रस्तताओं से मुक्त भूमि प्रस्तावित सड़क काय शुरू करने के लिए उपलब्ध है। राज्य सरकारां से यह अपेक्षित है कि वे स्वैच्छिक दान, विनिमय या अन्य प्रणालियां के लिए दिशा-निदश निधारित करे, ताकि वन क्षेत्रों म सड़कां सहित सभी प्रस्तावित सड़कां के लिए भूमि का उपलब्धता सुनिश्चित का जा सके। सभी स्वीकृत परियोजनाओं का समयबद्ध निमाण करना राज्य सरकार का जिम्मेदारी है। राज्य तथा पयावरण एवं वन मंत्रालय के विभिन्न स्तरां पर वन स्वीकृति म होने वाले विलम्ब पर विचार करने के लिए मंत्रालय अधिकार प्राप्त समिति और क्षेत्रीय समीक्षा बैठकां म लंबित पड़ी परियोजनाओं का प्रगति का लगातार समीक्षा कर रहा है। विभागां के बीच अच्छा समन्वय एवं शीघ्र स्वीकृति सुनिश्चित करने के लिए इस संबंध म सभी अनुमतियां को समय से पूरा करने का आवश्यकता संबंधी जानकारी संबंधित राज्यां के मुख्य सचिवां और पयावरण एवं वन मंत्रालय के सचिव को दे दी गई है।

*****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 10.03.2016 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्र.सं. 2168 के भाग (क और ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्र.सं.	राज्य	[illegible]
1	आंध्र प्रदेश	34
2	अरुणाचल प्रदेश	शून्य
3	असम	शून्य
4	बिहार	4
5	छत्तीसगढ़	2
6	गोवा	शून्य
7	गुजरात	12
8	हरियाणा	शून्य
9	हिमाचल प्रदेश	26
10	जम्मू-कश्मीर	54
11	झारखंड	84
12	कनाटक	शून्य
13	केरल	8
14	मध्य प्रदेश	14
15	महाराष्ट्र	15
16	मणिपुर	शून्य
17	मेघालय	शून्य
18	मिजोरम	शून्य
19	नागालड	शून्य
20	ओडिशा	14
21	पंजाब	शून्य
22	राजस्थान	33 (आरक्षित वन के तहत) 15 (वन्य जीव अभयारण्य के तहत)
23	सिक्किम	शून्य
24	तमिलनाडु	शून्य
25	तेलंगाना	29
26	त्रिपुरा	शून्य
27	उत्तर प्रदेश	1
28	उत्तराखंड	14
29	पश्चिम बंगाल	शून्य